हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली, धारा 151, 152 सी०पी०सी० ब्लॉइन्ट होने पर पेश हो, जिसका का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता। निर्णय दिनांक 13-2-12 में संशोधन आदेश किया जाना उचित प्रतीत होता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जायेगा। शामिल मिसिल हो। पत्रावली फैसल हुआ। दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी इटावा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट , उपखण्ड इटावा जिला कोटा(राज0)

निगेल नं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2005	28.04.2005	10.08.2021

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भैरू पुत्र श्री ओंकार जाति खटीक निवासी पीपल्दा कलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक)

(प्राथी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जर्ये तहसीलदार , तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2– फेलू पुत्र किशना जाति गूर्जर निवासी खेड़ली बोरदा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थी की ओर से– श्री भागवन्त सिंह एडवोकेट

संशोधित निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 151, 152 सीपीसी का प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया है:–

1– यह कि उपरोक्त उनवान का प्रार्थना पत्र भैरूलाल बनाम सरकार प्रकरण संख्या 32/05 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दिनांक 13.02.2012 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है।

2– यह कि उपरोक्त प्रकरण के प्रार्थी भैरूलाल जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण स्व0 भैरूलाल जी के कायममुकाम है। जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है।

3– यह कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2012 में लिपिकिय त्रुटि से सहवन से क्रियात्मक आदेश में खसरा नम्बर अंकित होने से छूट गया है तथा प्रार्थी का खसरा नम्बर 501 के स्थान पर 301 अंकित हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 13.02.2012 में छूटे गये खसरा नम्बर में खसरा नम्बर 502 रकबा 1.39 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 301 के स्थान पर 501 दर्ज किये जाने है।

5— यह कि उपरोक्त त्रुटि सहवन से हुई लिपिकिय त्रुटि है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 13.02.2012 में संशोधिन किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत मूल पत्रावली को तलब किया गया। पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2012 एवं प्रार्थना पत्र 151, 152 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। निर्णित प्रकरण सं. 32/05 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दिनांक 13.02.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी इटावा से निर्णय लिखते समय खसरा नम्बर लिखने में त्रुटिवस खसरा नम्बर का अंकन नहीं हुआ है जिसको संशोधित करवा कर निर्णय की पालना करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151, 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 32/05 बउनवान भैरू बनाम राज0 सरकार वगै0 में संशोधित निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी में जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 में कुल 20 बीघा भूमि दर्ज थी , जिसके खसरा नम्बर 369/398 रकबा 5 बीघा , खसरा नम्बर 369/401 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 369/391 रकबा 5 बीघा एवं खसरा नम्बर 369/406 रकबा 5 बीघा है। सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी की खातेदारी में नवीन खसरा नम्बर 502 रकबा 1.39 है0, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.70 है0, एवं खसरा नम्बर 517 रकबा 0.77 है0 कुल 1.47 है0 पैमूद किये गये। जो पुराने रकबा के मुकाबले 0.34 है0 कम दर्ज किया गया है। कमी रकबे की पूर्ति अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 500 रकबा 2.70 है0 में से की जावे।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार पीपल्दा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब में प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 501, 502, एवं 517 कुल रकबा 2.86 है0 में साबिक रकबा 20 बीघा अनुसार 0.34 है0 भूमि रिकार्ड में कम दर्ज करने की स्वीकारोक्ति की गई है, जबकि प्रार्थी मौके पर हाल खसरा नम्बर 501, 502, एवं 517 में पूरे रकबे 3.20 है0 पर ही काबिज काश्त है। गै0मु0बेहड़ सिवाईचक में से प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति रिकार्ड में करने की अभिशंषा की गई है। प्रार्थना पत्र पर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अधिवक्ता की बहसि सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब सरकार से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज नवीन खसरा नम्बर 501, 502, एवं 517 रकबा 2.86 हैक्टेयर गत रकबे के मुकाबले 0.34 है0 की कमी की गई है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 500, 513, एवं 514 में से कमी रकबे की पूर्ति करवाने हेतु निवेदन किया है। खसरा नम्बर 514 अप्रार्थी क्रम 2 की खातेदारी में दर्ज है। जिसके पूर्व में खातेदारी में दर्ज रकबे में बढोतरी हुई है, इस बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये है। खसरा नम्बर 513 व 500 वर्तमान में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जवाब सरकार में कमी रकबे की पूर्ति 0.34 है0, खसरा नम्बर 500 से की जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 501 में रकबा 0.70 है0 के स्थान पर 0.12 है0 बढाकर 0.82 है0 , खसरा नम्बर 502 रकबा 1.39 है0 के स्थान पर 0.22 है0 बढा कर रकबा 1.61 है0 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। बढाये गये रकबे 0.34 है0 की कमी खसरा नम्बर 500 रकबा 2.70 है0 गैर मु0 बेहड सिवायचक में से किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मिसल नं. 32/2005 में संशोधित निर्णय पारित कर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 501 में रकबा 0.70 है0 के स्थान पर 0.12 है0 बढाकर 0.82 है0 , खसरा नम्बर 502 रकबा 1.39 है0 के स्थान पर 0.22 है0 बढा कर रकबा 1.61 है0 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। बढाये गये रकबे 0.34 है0 की कमी खसरा नम्बर 500 रकबा 2.70 है0 गैर मु0 बेहड सिवायचक में से करने के आदेश दिये जाते है। आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड इटावा